भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AX 297025

विक्रय मूल्य – 6,00,000/–
मालियत – 1,92,000/–
स्टाम्प – 30,000/'
दर – 25,00,000/–प्रति हेक्टेयर
विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति नही है
मूल्यांकन सूची के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र कोड सं0–37

लेखपत्र का विवरण–विक्रय–पत्र

1–सम्पत्ति का प्रकार – कृषि भूमि
2–परगना – मोहनलालगंज
3–ग्राम – खुजौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AX 297026

2

4–विक्रीत गाटा सख्या – 418/0.369 हे0का बकदर भाग रकबा 0.07673 हे0 विक्रेता का सम्पूर्ण अँश
5–विक्रीत कुल क्षेत्रफल – 0.07673 हे0 विक्रेता का सम्पूर्ण अँश
6–जनपदीय मार्ग से – 1/2 कि0मी0 से अधिक रेलवे स्टेशन से 6 कि0मी0 लगभग
7–प्रतिफल की धनराशि – 6,00,000/–{छः लाख रू0} जरिए आर टी जी एस दिनाँक 14–01–2015 यस बैंक शाखा हजरतगंज लखनऊ भुगतान किया गया। भूमि से सम्बन्धित कोई देनदारी क्रेता द्वारा शेष नही है।

8– भूमि की चौहद्दी

पूरब –रास्ता 18 फिट पश्चिम –खेत नोडित केसरवानी
उत्तर – नाली दक्षिण –खेत नन्हे

9–प्रथम पक्ष की सं0–1 विक्रेता
संजय नागर पुत्र शान्ती लाल नागर
निवासी ए–1439/1 सेक्टर–4, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
{निवार्चन कार्ड– यू पी–20/100/0747260}

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AX 297027

3

द्वितीय पक्ष की सं0 1/क्रेता
रायल ओशियन इण्डिया इन्फ्राटेक प्राइलि0
द्वारा निदेशक राजमणि यादव पुत्र रामजस यादव
निवासी 1/290, विभव खण्ड–1,
गोमती नगर लखनऊ।
{डी एल नं0–231720}

मै कि संजय नागर पुत्र शान्ती लाल नागर निवासी ए–1439/1, सेक्टर–4, इन्दिरा नगर, लखनऊ का हूँ। विक्रेता/क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नही है, भूमि खसरा संख्या–रकबा उपरोक्त स्थित ग्राम खुजौली परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ का मै मालिक काबिज हूँ, भूमि पर बोरिंग पेठ व इमारत आदि नही है विक्रय हुदा आराजी लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ की किसी भी योजना में अधिगृहीत नही है तथा न ही अधिगृहण हेतु प्रस्तावित है, जो आज तक हर प्रकार के विवादो, भारो, रेहन, बन्धक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा आदि से पूर्णतया बरी व साफ साफ है जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार विक्रेता को प्राप्त है। अतः कागी राजी खुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बजरूरत होशो हवास में उपरोक्त

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AX 177524

4

भूमि को बिलएवज मुबलिग 6,00,000/–{छः लाख रू0} में बदरस्त हाया [illegible] इण्डिया इन्फ्राटेक प्राइलि0 द्वारा निदेशक राजमणि यादव पुत्र रामजस यादव निवासी 1/290, विभव खण्ड–1, गोमती नगर लखनऊ के हक में विक्रय कर [illegible] कर कब्जा व दखल मालिकाना अपने सनान क्रेता को करा दिया। [illegible] से विक्रेता या उनके किसी वारिसान कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा व [illegible] उक्त विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार से बाकी नही रहा अगर कोई व्यक्ति विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में क्रेता उपरोक्त से अपना हक जताये या दावा करे तो दावा उसका इस बयनामा के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा, और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या उजेदारी या हकदारी से विक्रीत भूमि का कुल या जुज भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जाये या कब्जा न मिले, निलिकत या हकीयत विक्रेता की करार नुं पायी जाय या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के खातरात विवादित अथवा भार ग्रसित मिलने तो ऐसी तमाम सूरतो में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपया मय हर्जा खर्चा व नुकसान सहित विक्रेता व उनके वारिसान व कायम मुकाम से अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे, विक्रेता उपरोक्त को कोई मुकदमा उज्र का न होगा, अब स्टाम्प की तारीख से क्रेता को

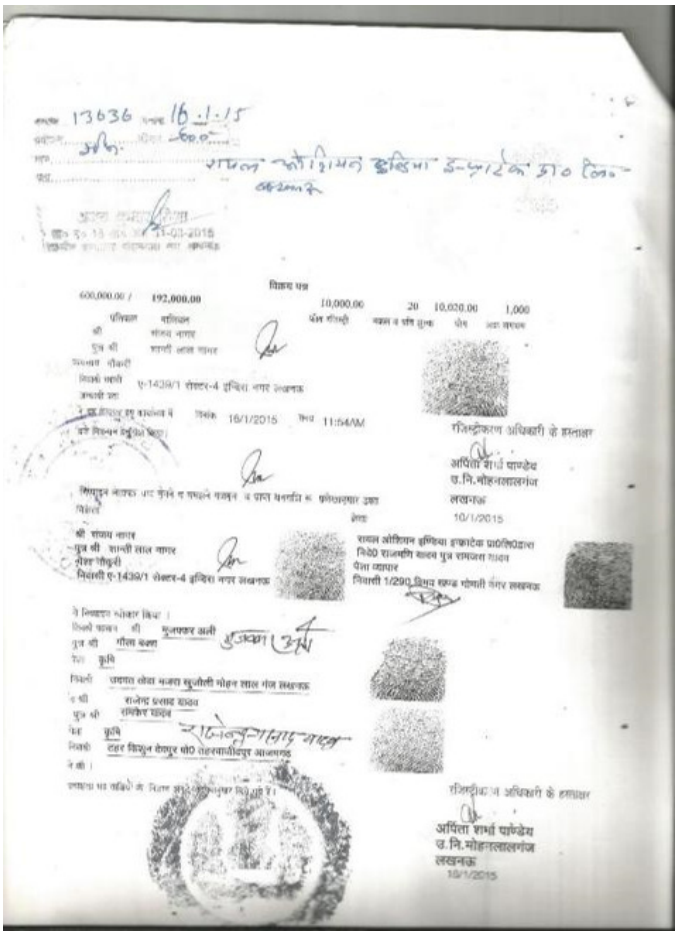

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AX 177525

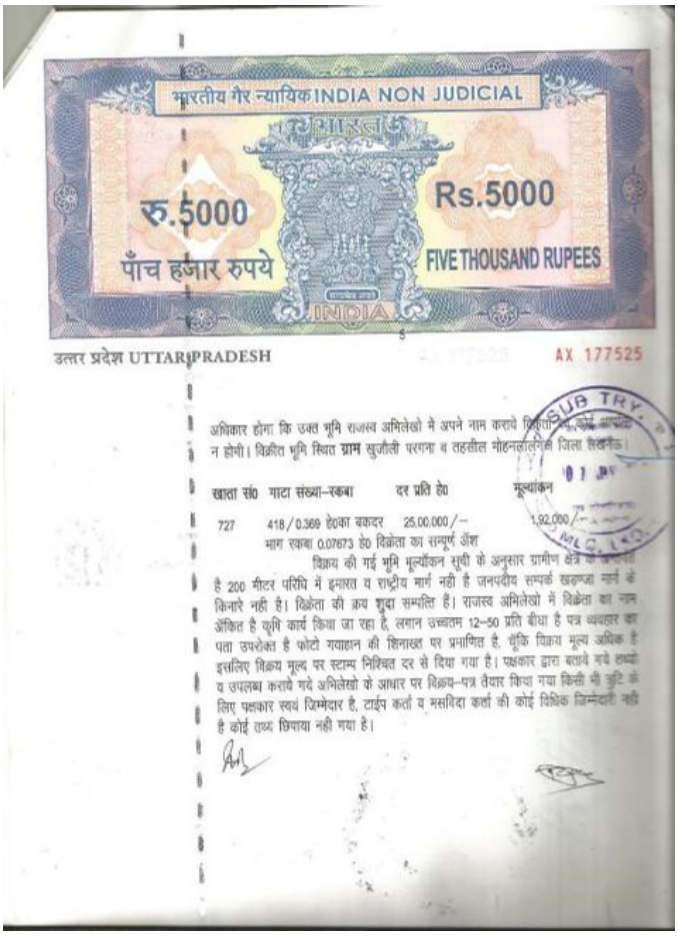

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES
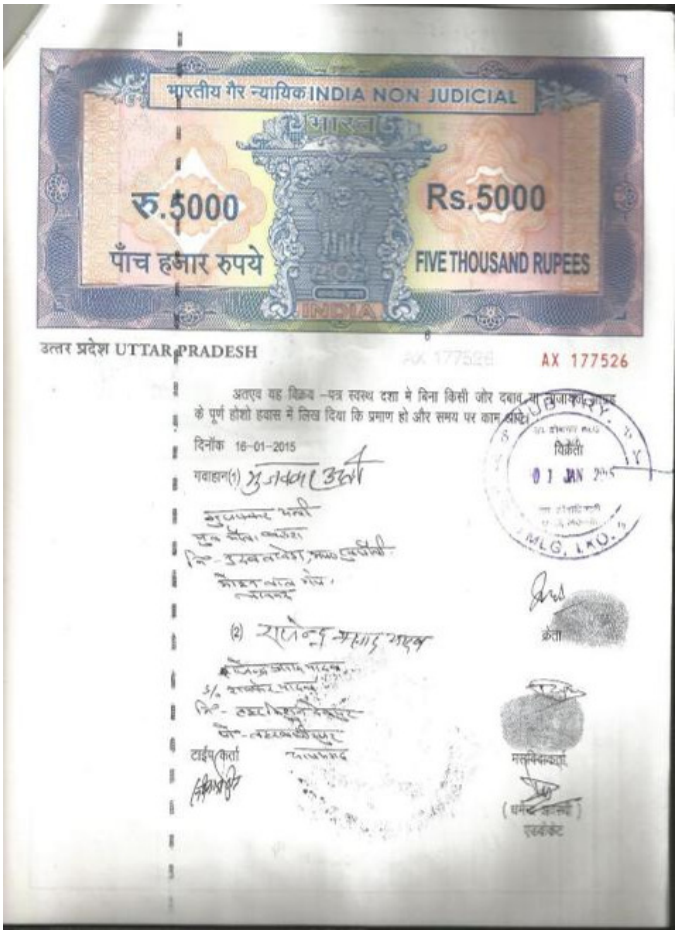
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AX 177526